

14-6-2018

प्रकाशना सं 3
प्रकाशना सं 3
प्रकाशना सं 3

प्रकाशना का निर्देश है कि माफिक
संख्या 50 कीका सं 623/68
संख्या 50 कीका सं 628/68
लगा देस में माफिक प्रकाशना का
विद्यमान टापी टाका प्रकाशना "क"
अनुसार प्रकाशना काफिल करके
प्रकाशना प्रदान कराये।

राजस्थान लोक न्यायालय की माफिक
के प्रकाशना सं 3 के माफिक प्रकाशना
में प्रकाशना की गई प्रकाशना सं
संख्या में प्रकाशना की गई।
इसमें प्रकाशना की प्रकाशना होना
अनुसार माफिक प्रकाशना के प्रकाशना
प्रकाशना प्रकाशना के माफिक प्रकाशना का
पुराना प्रकाशना प्रकाशना की प्रकाशना
प्रकाशना के प्रकाशना प्रकाशना के
प्रकाशना कर प्रकाशना की गई प्रकाशना
प्रकाशना की गई।

इसमें प्रकाशना प्रकाशना प्रकाशना
प्रकाशना प्रकाशना प्रकाशना प्रकाशना
प्रकाशना प्रकाशना प्रकाशना प्रकाशना

(माफिक प्रकाशना)

विशेषदार कोष का बकाया का भी विवरण
दिया है जिसका हर मसल दिया

उपरोक्त विवरण के आधार पर

रेवेन्यू कोष का बकाया के समस्त मसल

623/68 रकम 50 कीका व रेवेन्यू नम्बर

628/68 रकम 50 कीका मासिक रेवेन्यू

का बकाया का बकाया अनुसार प्रो 50 का मसल
में प्रवेष्टन प्रदान करने के विषय

का भाग माना जाकर उक्त मसल की

प्रतीक प्रदान करने के अनुसार प्रमाण

नक़्शा में प्रतीक करने के विषय

दिए जाते हैं। निम्न युक्त नक़्शालय

में सुनाया गया। पकाने की सुधार

कोष का बकाया दाखल करने

(भागीरथ राम)

प्रीतिका अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपस्थित अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. 2/5